The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-3, October 2022
www.theresearchdialogue.com

महर्षि दयानंद और नारी पुनरुत्थान

अखिलेश प्रताप सिंह
शोध छात्र
डॉ.राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,अयोध्या
(उ.प्र)

प्रो0 छत्रसाल सिंह
शिक्षा संकाय
उ0प्र0 राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सारांश :

महर्षि दयानंद सरस्वती ने उत्तरी भारत व महाराष्ट्र, बंगाल के क्षेत्रों में वैदिक विचारधारा की प्रतिष्ठा हेतु प्रत्यक्ष प्रयास किए। स्वामी दयानंद जी ने अपने वैदिक अनुष्ठान को सामूहिक स्वरूप प्रदान करने के लिए 1875 ई0 में आर्य समाज का गठन किया। आर्य समाज को जनता को समर्पित करते हुए महर्षि ने 10 सिद्धांतों के मार्गदर्शन में सत्यविद्या, सदाचरण, व आदि मूल परमेश्वर के स्वरूप का संधान करवाया। आर्य समाज द्वारा किए गए अनेक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलनों में नारी शिक्षा पर नारी अस्मिता की पुनःस्थापना का कार्य अतुल्यनीय है, जिसके क्रम में महर्षि दयानंद जी ने वैदिक सूक्तियों का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता व अनिवार्यता का उल्लेख किया।}

कुंजी शब्द : *आर्य समाज, सामाजिक सुधार, समानता, नारी पुनरुत्थान ।*

प्रस्तावना :

19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों को अग्रगण्य नेतृत्व प्रदान करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती व उनके द्वारा प्रतिपादित आर्य समाज ने भारतीय परंपरा व महान भारत की कल्पना को प्रोत्साहित करते हुए तथा वेदों को समस्त ज्ञान का भंडार बताकर भारत एवं भारतीयों का मस्तिष्क गर्व से ऊंचा करने का सौभाग्य प्रदान किया। वेदों के अध्ययन पर महत्व देकर दयानंद जी ने कई दूरगामी परिवर्तनों का सूत्रपात किया।

दयानन्द जी ने बताया कि वैदिक काल के सामाजिक ढांचे व संगठन में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था तथा उच्च शिक्षा व सामूहिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार था। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान यज्ञ करने, शासन करने, युद्ध का नेतृत्व करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, जिसके स्वामी जी ने वेद ग्रंथों व आर्य ग्रंथों के मंत्रों व सूक्तियों का उदाहरण देकर प्रमाण प्रस्तुत किए।

स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज के अग्रणी नेताओं द्वारा वैदिक ग्रंथों को आधार बनाते हुए नारी पुनरुत्थान के लिए किए गए सभी प्रयासों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत कर उनका अध्ययन करना साध्य होगा।

1–पुत्र–पुत्री समानता

2–शाश्वत वैधव्य, पर्दा, दहेज व बहु विवाह का विरोध

3–स्त्री शिक्षा पर बल

1.पुत्र–पुत्री समानताः– दयानंद सरस्वती द्वारा प्रस्तुत संस्कार विधि में वर्णित विभिन्न संस्कारों में संतान के प्रति पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। बालक को आशीर्वाद देने के वाक्य, संतान के लिए करने वाली विधियाँ सभी का प्रयोग पुल्लिंग व्याकरण में है। अधिकतम संस्कारों में बालक और पुत्र शब्दों के आदेश–निर्देश लगे देखकर साधारण जनों में भ्रम हो जाता है कि संस्कारों में पुरुष प्रधान को मान्यता दी गई है परंतु ऐसा नहीं है। माता के गर्भ में जो शिशु आता है उस संतान के लिए संज्ञा का प्रयोग अपत्य और पुत्र होता है। निरुक्तकार यास्क मुनि ने व्याख्या में लिखा है, 'अविशेषेण मिथुनाः पुत्र दायादा इति' अर्थात लड़का और लड़की दोनों की बिना किसी विशेषता के पुत्र संज्ञा है और दोनों के दायभाग के अधिकारी है। यास्क ने अपने मत की पुष्टि के लिए पारस्कर गृह्मसूत्र का एक वाक्य दिया है।

अंङादंगात् सम्भवासि हृदयादधिजायसे।

आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्।।

अर्थात अंग–अंग से उत्पन्न होने वाले(लड़का–लड़की) पुत्र कहलाते हैं।[i]

यास्क मुनि की इस व्याख्या की भूमिका से स्वामी दयानंद जी की संस्कार विधि में अपनाई गई शैली स्पष्ट हो जाती है। महर्षि ने अपनी ओर से पुत्री शब्द का प्रयोग न करते हुए मूल स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास किया है। प्रश्नोत्तर के संदर्भ में प्रश्नकर्ता ने भले ही पुत्री शब्द अपनाया है परंतु स्वामी जी ने मात्र जहां आवश्यकता हुई वहीं पुत्री के लिए अथवा स्त्री शब्द का प्रयोग किया है। नामकरण संस्कार में समस्त क्रियाओं में बालक शब्द के संज्ञा का प्रयोग है परंतु नाम पृथक–पृथक रखे जाने का प्रावधान है, इसलिए लिखा गया है कि पुत्र हो तो इस प्रकार के नाम और स्त्री हो तो इस प्रकार के नाम रखने चाहिए। पुत्रों का समाक्षर नाम रखना चाहिए तथा स्त्रियों का विषमाक्षर नाम रखें। अन्त्य में दीर्घ स्वर और तद्धितान्त भी होवे।[ii]

वेदारम्भ संस्कार में समस्त क्रियाएँ बालक सम्बोधन से हैं, किन्तु अंत में वर्णित किया गया है कि 'तत्पश्चात् घर को छोड़कर गुरुकुल में जाएं, यदि पुत्र हो तो पुरुष की पाठशाला और स्त्री की पाठशाला में भेजें।[iii]

विवाह संस्कार में वर–वधु की परीक्षा में दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, अहिंसकता, सत्य मधुरभाषण, कृतज्ञता, दयालुता निर्लोभता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्योंपदेश करने में निर्भयता आदि का मिलान सभी के लिए किया गया है। संस्कार प्रणाली में पात्र यदि कन्या है तो आशीर्वाद आदि वचनों में व्याकरण बदलनी होती है।

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि कुछ आलोचक वेदों में नारी की स्थिति को अत्यंत हीन दिखाते हैं तथा प्रमाण देते हैं कि वेदों में सर्वत्र पुत्र ही मांगे गए हैं, पुत्रियों की कामना कहीं नहीं दिखाई पड़ती। जिसके लिए वे निघंटु के अनुसार अपत्यवाची 15 शब्द इस प्रकार है–

"तुक। तोकम्। तनयः। तोकम। तक्म। शेषः। अप्नम्।
गयः। जा। अपत्यम्। चहुः। सूनुः। नपात्। प्रजा। बीजम्।।
इति पंचदश अपत्यनामानि।"[iv]

अपत्य का अर्थ संतान होता है, जिसमें पुत्र और पुत्री दोनों सम्मिलित हैं अर्थात संतान प्राप्ति की जो प्रार्थना वेदों में वर्णित है, वह बालक व बालिका दोनों के लिए है। यह भी ज्ञात हो कि वेदों में संतान प्राप्ति की सर्वाधिक प्रार्थनाएं 'प्रजा' शब्द से हैं और 'प्रजा' में पुत्र–पुत्री दोनों का समावेश होता है।

"इंद्रश्चिद् घा तदब्रवीत, स्त्रिया अशास्यं मनः।
उतो अह क्रतुं रघुम।।"[v]

वेदों में वर्णित उपरोक्त मंत्र का वेद निन्दकों द्वारा मिथ्या अर्थ निकाला गया है जिसका वास्तविक अर्थ है कि स्त्री के मन पर शासन या अंकुश नहीं रखा जाना चाहिए, पुरुष के समान उसे भी विचारों की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पुनः दयानंद जी का मंतव्य कि वेदों में किसी को निंदनीय नहीं बताया गया अपितु उसके कर्म उसे प्रशंसनीय व निन्दनीय बता बनाते हैं।

उत त्वा स्त्री शशीयसी, पुसों भवतिवयस्यसी।

अदेवत्राद राघसः।

विया जानाति जसुरि, वितृष्यन्तं विकामिनम्।

देवत्रा कृणुते मनः।।[vi]

अर्थात जो देव यज्ञ नहीं करता और विद्वानों की रक्षा नहीं करता और जो धनादि का दान नहीं करता या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं करता ऐसे पुरुष से तो स्त्री अधिक अच्छी है जो प्रशंसनीय और उद्यमी होती है जो आपत्तियों से पीड़ित को जानती है, प्यासे को जानती है, धनादि की अभिलाषा को जानती है तथा जो परमात्मा, देव, पतिदेव, सास–ससुर आदि देव व अतिथि की सेवा में मन लगाती है।

अतः दयानंद जी ने विभिन्न प्रवचनों व पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में पुत्र–पुत्री समानता के विषय में सप्रमाण उल्लेख करते हैं।

2.शाश्वत वैधव्य, परदा, दहेज व बहुविवाह का विरोधः– महर्षि दयानंद सरस्वती ने तत्समय के सामाजिक पतन का एक महत्वपूर्ण कारण नारियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट को माना। तत्समय नारी जाति पर सती प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह इत्यादि प्रथाओं के नाम पर अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही थी। बाल विवाह के नाम पर छोटी–छोटी कन्याओं का विवाह करा दिया जाता था। कई समय पर कन्या की आयु बहुत कम(नाबालिक) और वर अधिक आयु के होते थे। महर्षि दयानंद के निर्देशानुसार आर्य समाज ने इन सभी सामाजिक कुरीतियों के विरोध में संघर्ष प्रारंभ किया, जिसके सामाजिक, धार्मिक व वैधानिक परिणाम प्राप्त हुए। सामाजिक स्तर पर भारतीय जनता एवं इनके प्रमुख विद्वत जनों ने इन प्रथाओं का सामाजिक बहिष्कार करते हुए विभिन्न समितियों एवं जनजागरण संबंधी कार्यों का संचालन किया। धार्मिक आधार पर महर्षि ने वैदिक प्रमाणों के संदर्भों के आधार पर उपरोक्त कुरीतियों का खंडन किया।

स्वामी दयानन्द जी का मत था कि विदेशी आक्रमणों के फलस्वरुप भारत देश की राजनीतिक व धार्मिक स्थिति में कोलाहल पूर्ण वातावरण बन गया। समाज धर्म, राजा, वर्ण व्यवस्था आदि के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। जाति व्यवस्था के बंधन कड़े होते जा रहे थे, निर्धन वर्ग पर अत्याचार बढ़ने लगा था। नारी को केवल भोग्या व क्रय–विक्रय की वस्तु के समान समझा जाने लगा।[vii]

"यवनों के आने से पहले भारतीय समाज में पर्दे का रिवाज बिल्कुल नहीं था। यवन अत्याचारीगण आर्य देवियों को बलपूर्वक छीन लेते थे और यवनों में शामिल होने के कारण ऐसे अत्याचारों से अपनी रक्षा में करने में असमर्थ रहते थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने स्त्रियों को पर्दे के भीतर बंद रखना ही उचित समझा।"[viii] इस प्रकार भारतीयों ने लड़कियों को छोटी उम्र में विवाहित करना उचित समझने लगे। इसी समय कुछ कुपढ़ लोगों ने इसे धार्मिक आवरण पहना दिया।

स्वामी दयानंद जी ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्त्री व पुरुष की विवाह की आयु में स्त्री की न्यूनतम 16 वर्ष की आयु बताई है, जिसके उपरांत विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का निर्माण कर बाल विवाह को कानूनी तौर पर अवैध भी घोषित किया गया। जिसके क्रम में 1872 में 'नेटिव मैरिज एक्ट' पास किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। इसी क्रम में 1931 में बड़ौदा की सरकार ने 'दी इन्फैन्ट मैरिज प्रिवेन्सन ऐक्ट' (बाल विवाह निवारण अधिनियम) पास किया और संपूर्ण भारत के लिए 1930 में हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक कानून पास हुआ जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के लड़के और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह अवैध घोषित कर दंडात्मक प्रावधान का निर्माण किया गया।[ix]

महर्षि दयानंद में तत्समय प्रचलित बहूपत्नी प्रथा की कड़ी आलोचना करते हुए कहते हैं कि वेदों में बहुपत्नी प्रथा वर्जित है तथा इसके दुष्परिणाम बताए गए हैं। महर्षि विधवाविवाह का समर्थन करते हैं जिसका अनुसरण करते हुए कई आर्य समाज के मानने वालों ने विधवा नारियों संग विवाह किए। महर्षि पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाली शोधार्थी श्रीमती कल्पना लाल ने अपने शोध प्रबंध के पृष्ठ 72 में वर्णित करती है कि यदि विधवा की आयु विवाह योग्य है तो उसके पुनर्विवाह की भी स्वीकृति वेद देता है।

इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उपत्वा मर्त्य प्रेतम्।
धर्म पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि।।

पति की मृत्यु के पश्चात् यदि पत्नी पतिगृह में ही रहती है अर्थात उसी घर में देवर के साथ उसका विवाह हो जाता है या बिना विवाह किए उसी घर में जीवन व्यतीत करती है तो पति की संतान तथा उसकी संपत्ति की वह अधिकारी होती है किंतु यदि वह अन्यत्र विवाह कर लेती है तो पूर्व पति की संतान और संपत्ति का उत्तराधिकार उसे नहीं मिलता।

3.स्त्री शिक्षा पर बलः– महर्षि दयानंद सरस्वती भारत के सामाजिक इतिहास में पहले सुधारक थे जिन्होंने शुद्र व स्त्री को वेद पढ़ने तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने तथा अन्य सभी पक्षों में ऊंची जाति तथा पुरुषों के बराबर के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया।[x]

महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली बार प्रकाशित अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में यजुर्वेद के अध्याय 26 के मंत्र संख्या 2 को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता व अनिवार्यता के संबंध में कहा कि "यदि देश व समाज की नारियां शिक्षित नहीं होंगी तो आने वाली संतान कैसे शिक्षित हो सकेंगी।"

मातृमान् पित्मानाचार्यवान् पुरूषों वेद।[xi]

वस्तुतः जब तीन अति उत्तम शिक्षक– अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो तो मनुष्य ज्ञानवान होता है। महर्षि दयानंद जी तृतीय समुल्लास में बालक एवं बालिकाओं को एक निश्चित समय पर शिक्षा देने के राजनियम का भी उल्लेख करते हैं।

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणंम्।[xii]

अर्थात यह राज नियम नियम होना चाहिए कि पांचवे अथवा आठवें वर्ष से आगे अपने लड़के और लड़कियों को पाठशाला में अवश्य भेज दें, जो न भेजे वह दंडनीय हो।

इस प्रकार महर्षि बालक एवं बालिकाओं दोनों की समान शिक्षा का उल्लेख करते हैं परंतु सहशिक्षा का प्रतिषेध करते हैं। वह पुत्र एवं पुत्री दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण करने का उपदेश देते हैं।

ब्रह्मचर्य्येण कन्या युवानं विन्दतें पतिम्।।[xiii]

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त करके अपने अनुकूल विदुषी स्त्रियों से विवाह करें उसी प्रकार(कन्या) कुमारी ब्रम्हचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त करके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान व पूर्व युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त करें। इस क्रम में दयानन्द जी लिखते हैं कि श्रौतसुत्रादि में 'इमं मंत्र पत्नी पठेत।' का वर्णन है जिसका अर्थ है यह मंत्र पत्नी पढ़े। यदि पत्नी पढ़ी–लिखी नहीं होगी तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण किस प्रकार करेगी।

उपरोक्त वैदिक आधारों पर माहर्षि दयानंद जी स्त्री शिक्षा के पक्ष में निरंतर तत्पर रहें। इसी के अनुसरण व अनुकरण में आर्य समाज द्वारा अनेक कन्या गुरुकुल व कन्या पाठशाला स्थापित की गई, जो आज भी अनवरत रूप से संचालित हो रही हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करके महिलाओं ने देश–विदेश के अनेक उच्चतम पदों को सुशोभित किया।

शिक्षा के संबंध में महर्षि के मन्तव्यों को दृष्टि में रखते हुए आर्य समाज ने 1883 में महर्षि के निर्वाण के पश्चात शिक्षा संबंधी कार्यक्रम तेजी से प्रारंभ किए। आर्य समाज के इतिहास में स्त्री शिक्षण संस्थाओं का विकास तीन बड़े युग में बांटा जा सकता है।

प्रथम कन्या महाविद्यालय(1890 से 1922 तक)– कन्या महाविद्यालय के माध्यम से आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा के कार्य का श्रीगणेश किया और प्रबल विघ्न बाधाओं के होते हुए भी इसे सफलता से संपन्न किया और अपने समय की आदर्श अनुकरणीय संस्था बन गई। **दूसरा युग कन्या गुरुकुलों** का है यह 1922 में कन्या गुरुकुल देहरादून की स्थापना से शुरू होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि विभिन्न प्रांतों में कन्या गुरुकुलों की स्थापना हुई। **तीसरा युग 1956** से दिल्ली में नरेला गुरुकुल की स्थापना के साथ शुरू हुआ। यह कन्या गुरुकुलों की आर्य पद्धति के विकास का युग है। इस आर्य पद्धति के जन्मदाता स्वामी व्रतानंद और आचार्य भगवान देव थे।[xiv]

इस क्रम में कन्या महाविद्यालय जालंधर के संस्थापक लाला देवराज, कन्या गुरुकुल देहरादून के आचार्य रामदेव व आचार्या विद्यापति, बड़ौदा कन्या महाविद्यालय के पंडित आनंद प्रिय के प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं कृतित्व के परिणाम स्वरुप स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि के विचारों के अनुसार शिक्षण किया जा रहा है। जिनमें कन्याओं को महर्षि द्वारा प्रतिपादित पाठ विधि के अनुसार वेद वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान कराया जाता है।

---

[1] आर्य समाज की मान्यताएँः गजानन्द आर्य; पृ0सं075

[1] संस्कार विधिः स्वामी दयानन्द सरस्वती; पृ0सं051

[1] संस्कार विधिः स्वामी दयानन्द सरस्वती; पृ0सं087

[1] निघण्टु अध्याय–2,मन्त्र–2

[1] ऋग्वेद म0–8। सू033। मन्त्र–17

[1] ऋग्वेद म0–5। सू006। मन्त्र–06 व 07

[1] दयानन्द सरस्वती का स्त्री विमर्श तथा उसका आधुनिक हिन्दी साहित्य पर प्रभाव(शोध प्रबन्ध):डॉ कल्पना लाल; पृ0सं070

[1] वही

[1] आधुनिक भारत का इतिहासः प्रो0 रामलखन शुक्ल; पृ0सं0257

[1] आधुनिक भारत का इतिहासः बी0एल0 ग्रोवर तथा यशपाल; पृ0सं0274

[1] सत्यार्थ प्रकाशः महर्षि दयानन्द सरस्वती; पृ0सं033

[1] वही

[1] सत्यार्थ प्रकाशः महर्षि दयानन्द सरस्वती; पृ0सं068

[1] आर्य समाज का इतिहास(तृतीय भाग): डॉ सत्यकेतु विद्यालंकार; पृ0सं0231

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X(Online)
Volume-1, Issue-3, October 2022
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-October-2022/07

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

अखिलेश प्रताप सिंह एवं प्रो0 छत्रसाल सिंह

For publication of research paper title

"महर्षि दयानंद और नारी पुनरुत्थान"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-03, Month October, Year-2022.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com